

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज 0 जयपुर

क्रमांक ए8(क)(वि.स.)( )डीएलबी/20/429

दिनांक 9-2-2021

आदेश

निर्देशानुसार नगर परिषद बाडमेर के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने हेतु पूर्व में विभागीय आदेशों से नियुक्त श्री मनोज पारीक और दलपतसिंह पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार को यथावत रखते हुये श्री गणेश कुमार मेघवाल, श्री छैलसिंह, श्री दानसिंह, श्री छगनलाल, श्री लोकेश चौधरी, श्री भवानी शंकर जाटिया, एवं श्री धनराज जोशी पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है। साथ ही, श्री राजेश विश्नाई एडवोकेट (रजि.सं. आर/804/2004) एवं श्री अनिल कुमार सोनी रजि.सं. आर/1360/2011) को न्यायिक प्रकरणों की पैरवी हेतु नगर परिषद बाडमेर में पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर परिषद बाडमेर से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


  
(दीपक नन्दी)  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: ए8 (क)(वि.स.)( )डीएलबी/20/430-448

दिनांक: 9-2-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज, जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज, जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
05. स्थापति/आयुक्त, नगर परिषद बाडमेर
06. श्री मनोज पारीक, श्री दलपत सिंह अधिवक्ता, मार्फत नगर परिषद बाडमेर।
07. श्री राजेश विश्नाई, श्री अनिल कुमार सोनी अधिवक्ता मार्फत नगर परिषद बाडमेर।
08. सर्व श्री गणेश कुमार मेघवाल, छैलसिंह, दानसिंह, छगनलाल, लोकेश चौधरी, भवानी शंकर जाटिया, एवं धनराज जोशी को सूचनार्थ मार्फत नगर परिषद बाडमेर।
09. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी